

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2017

सूचना

क्र. एफ-3-171-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-171-2012-बत्तीस, दिनांक 22 अगस्त 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शहर छतरपुर की भूमि	ब्लाक नम्बर-2 शीट क्रमांक-26(9) प्लॉट क्रमांक-32	1451.0 वर्गमीटर में से 875 वर्गमीटर योग . . 875.00 वर्गमीटर	आमोद-प्रमोद एवं मार्ग.	वाणिज्यिक एवं मार्ग

- (1) विकास योजना छतरपुर 2021 में प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई के अनुसार शेष भूखण्ड का उपांतरण प्रस्तावित है. यह उपांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण से छतरपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई से सहमति के ही अध्याधीन होगा.
- (2) प्रश्नाधीन स्थल दो राष्ट्रीय राज्यमार्गों के संगम पर स्थित होने से तथा न्यूनकोण पर मिलने के कारण वस्तुतः किये जाने वाले विकास में मार्ग संरचना का नियोजन कर ही शेष विकास प्रस्तावित किया जाये.
- (3) उपरोक्त उपांतरण छतरपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्र. 2951.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)
मूल ग्राम-उमरखोह, प.ह.नं.17 उपरखोह का कुल क्षेत्रफल—1111.881	टपरा टोला प.ह.नं. 17
विभाजन पश्चात् : उपरखोह का कुल क्षेत्रफल—443.835 टपरा टोला का कुल क्षेत्रफल—668.046.	

क्र. 2952.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)
मूल ग्राम-मरखण्डी, प.ह.नं. 34	तिन्साई, प.ह.नं. 34
मरखण्डी का कुल क्षेत्रफल—756.356	
विभाजन पश्चात् :	
मरखण्डी का कुल क्षेत्रफल—519.607	
तिन्साई का कुल क्षेत्रफल—236.749.	

क्र. 2953.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)
मूल ग्राम-मेहकाजागीर, प.ह.नं. 57	लमनयाउ, प.ह.नं. 57
मेहकाजागीर का कुल क्षेत्रफल—657.537	
विभाजन पश्चात् :	
मेहकाजागीर का कुल क्षेत्रफल—390.230	
लमनयाउ का कुल क्षेत्रफल—267.307.	

क्र. 2954.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)
मूल ग्राम-सुल्तानगंज, प.ह.नं. 4	सुल्तानगंज पठार, प.ह.नं. 4
सुल्तानगंज का कुल क्षेत्रफल—662.448	
विभाजन पश्चात् :	
सुल्तानगंज का कुल क्षेत्रफल—421.573	
सुल्तानगंज पठार का कुल क्षेत्रफल—240.875.	

क्र. 2955.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)
मूल ग्राम—बेरसला, प.ह.नं. 46	भजिया, प.ह.नं. 46
बेरसला का कुल क्षेत्रफल—442.511	
विभाजन पश्चात् :	
बेरसला का कुल क्षेत्रफल—206.431	
भजिया का कुल क्षेत्रफल—236.080	

क्र. 2956.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)
मूल ग्राम—फुलमार, प.ह.नं. 58	जूनापुरा, प.ह.नं. 58
फुलमार का कुल क्षेत्रफल—683.912	
विभाजन पश्चात् :	
फुलमार का कुल क्षेत्रफल—455.835	
जूनापुरा का कुल क्षेत्रफल—228.077	

क्र. 2957.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)
मूल ग्राम—नगपुरा, प.ह.नं. 52	नगझिरी, प.ह.नं. 52
नगपुरा का कुल क्षेत्रफल—889.194	
विभाजन पश्चात् :	
नगपुरा का कुल क्षेत्रफल—414.330	
नगझिरी का कुल क्षेत्रफल—474.864	

क्र. 2958.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल
(1)

राजस्व ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर
(2)

मूल ग्राम—सिंगपुरी, प.ह.नं. 5
सिंगपुरी का कुल क्षेत्रफल—935.312
विभाजन पश्चात् :
सिंगपुरी का कुल क्षेत्रफल—563.611
उचेर का कुल क्षेत्रफल—371.701.

उचेर, प.ह.नं. 5

भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख) बैतूल

बैतूल, दिनांक 30 नवम्बर 2017

क्र. 9267-एल.आर.-4-का.रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, शशांक मिश्र (भा.प्र.से.) कलेक्टर, बैतूल मध्यप्रदेश भू-राजस्व, संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील, भैसदेही के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल, भैसदेही की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का नम्बर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 98 कुल 18 जिलों का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल, भैसदेही एवं पटवारी हल्का नम्बर 89, 90, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 कुल 14 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मंडल सावलमेंड़ा की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ.

क्र. 2268-एल.आर.-4-का.रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, शशांक मिश्र (भा.प्र.से.) कलेक्टर, बैतूल मध्यप्रदेश भू-राजस्व, संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील, आमला के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल, बोरदेही की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 कुल 17 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल, बोरदेही एवं पटवारी हल्का नम्बर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 कुल 17 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मंडल मोरखा की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ.

क्र. 2269-एल.आर.-4-का.रा.नि.-2017.—शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, शशांक मिश्र (भा.प्र.से.) कलेक्टर, बैतूल मध्यप्रदेश भू-राजस्व, संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील, बैतूल के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल, बैतूल-1 की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 कुल 17 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल, बैतूल-1 एवं पटवारी हल्का नम्बर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 कुल 10 हल्कों का नया राजस्व निरीक्षक मंडल कोलगांव की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूँ.